

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालयः

महानदी भवन, अटल नगर

जिला-रायपुर

-----00-----

क्रमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 24/5/2019  
प्रति,

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन,  
नया रायपुर।

विषय:- 'छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

संदर्भ:- आपका प्रस्ताव जावक क्रमांक 1077 दिनांक 06.05.2019

-----00-----

विषयात्मत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

  
(विनोद मेहेकर)  
अवर सचिव

छोगो शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2 अटल नगर रायपुर, दिनांक / / 2018  
प्रतिलिपि-

- विशेष सहायक, माननीय, मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।  
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- गार्ड फाईल।

  
अवर सचिव

छोगो शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश  
के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत  
सत्र 2019-20

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ संतुष्टि करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।  
1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कडाई से पालन करना होगा। प्रवेश द्वारा आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों साथै साथ निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर विना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानान्तरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रत्युत्तर करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व नन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "का" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश किया था। उसके बाद उसके पालक को स्थानान्तरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जाना चाहता है तो ज्ञान (या) में उसे उपलब्ध कर्तव्य के लिए नी

महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (व) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि सकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, सबाधित विश्वविद्यालय के कुलपाते की अनुमति के प्रसार सुणानुक्रम न जान पर प्रवेश का पात्रता होगी। किन्तु विधि सकाय की कक्षाओं में सुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश का पात्रता हान पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा “उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग रो अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।”

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्षण (अधिकतम 4 सेक्षण) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/रचशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु वयस्ति विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर पमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर “प्रवेश दिया गया” की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

- ३ निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- ४.४ धारित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी काव्याओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- ४.५ स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटरथ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- ४.६ महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानान्तरण प्रगाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोडफोड आदि में रालिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को रीलबन्ड लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य ने प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- ४.७ छत्तीरामद शारान, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार “राज्य शासन, एतद द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक रत्न की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।” का पालन किया जाए।
- ५ प्रवेश की पात्रता :-
- ५.१ निवासी एवं अहंकारी परीक्षा :-
- (क) छत्तीरामद के मूल/स्थायी, छत्तीरामद में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीरामद में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त वोड़े एवं अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
  - (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय रो या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों रो अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
  - (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदकों को प्रवेश प्रदान किया जाए।

### स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (३) १०+२ परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों का विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वी.एस.री. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा का प्रवेश की पात्रता होगी।
- (४) स्नातक स्तर पर प्रथम/ द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/ तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

### स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (५) वी.कॉम./ वी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/ वी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम./ एम.एस.री. (गृह विज्ञान)/ एम.ए.-पूर्व/ प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लंकर, वी.एस.री. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./ एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (६) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/ प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (७) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-

१. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
२. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

### ५.४ विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (१) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (२) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (३) एल.एल.वी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल.एल.वी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगी।

### ५.५ प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (१) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु 40%) होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वांच में 55% अंक (अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति /ओ.वी.सी. हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को

MCI/ NCTE/ BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमानित  
वाट्यकर्म में प्रवेश/ संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

**६ समकक्ष परीक्षा :-**

- ६.१ सोन्हल बोर्ड ऑफ संकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कॉसिल फार संकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यांगिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- ६.२ सामान्यतः मारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसासिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी सामरत परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शक्तिगत संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कंम्पस ऑफ औलकर छात्र छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिल्लीग्रा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- ६.३ सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी कर्त्ता अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- ६.४ वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक रत्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाव।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अद्वृशासकीय पत्र क्रमांक  
1-52/2013(रोसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

जैसा कि आपको जात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिरूपित राष्ट्रीय वौशिल अहंता संरक्षण (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षिक अहंता संरक्षण (एनवीईक्यूएफ) में सूचबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण विषयों को निर्गमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 रत्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें रत्तर 5 से रत्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं रत्तर 1 से रत्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को

के प्रमाणित स्तर रहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव रांसाधन पिकास मन्त्रालय, भारत सरकार ने आशका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं स्नातक स्तर में रणनीतिक पूर्ति किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्ति पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों की अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों बाह्य आवेदकों का प्रवेश :—

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशारी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशारी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशारी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशारी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निररत करते हुए उस प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 निजान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यार्थी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के मूलपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राप्तार्थी द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना-अनिवार्य होगा :—
- 8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी कानून विषयों में ——

- 83 स्नातक प्रथम वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न किया जा सकता है।
- 84 उपरोक्त कड़िका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 85 पुरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्थान ले जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य कियेगा।
- 9 प्रवेश हेतु अहंताएँ :- ✓
- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्ति किसी छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसे आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनहूं नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र या शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विस्तृत न्यायालय में वालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण बतल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ छात्रीकाल मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/ चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो एसे छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।
- 9.3 महाविद्यालय में लोडफोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के भारापी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इसे हेतु सामेति गठित कर जॉब करवायें एवं जॉब रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जायें। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-
- स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वद्वंद्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से ऊर्ध्वावधि के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
  - आयु सीमा का वंदन किरी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु मेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
  - विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

- (३) अस्तिक महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकों पर्याम रामेश्वर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (४) विवेच संकाय का जोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वा/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पूर्णांगिक शासकीय/अशासकीय सोबाहरू कमेचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि लगाने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि लगाने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता ज्ञानपाठ्य प्रैग्याण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातकों के लिए नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-
- 10.1 अपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।
- (१.) स्नातक एव स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिक दर्द हैं तो अधिगार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
- (२.) अपलब्ध स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारोक्षेत एव आरोक्षेत श्रेणी के लिये अलग अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।
11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-
- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विवेच कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थीया के क्रम में होगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त कर वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदक के आवेदनों पर विवार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपनामर्श तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों के प्राथमिकता तो हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में स्थानेति निष्ठा/निष्ठा तथा

अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

- 115 परन्तु उपरोक्त प्राक्षान स्वशारी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किंतु एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

- 12 आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किंतु शैक्षणिक संरक्षा में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, आतेम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

- 12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उच्चाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

- (2) निश्चित व्यवितयों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों / भूतपूर्व सेनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उच्चाधर आरक्षण के भीतर होगा।

- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र—पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निश्चित श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

- 12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन कार्यपीठीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रमाणित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे— स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि

का गो हो सर्वग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। शेष सर्वग की रीट नहीं जायेगा।

- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा।
- 12.7 अमृत कशीर पिस्थापितो तथा आश्रितो को 5 प्रतिशत तक रीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए। इस सुनान अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 रामय समय पर शासन हारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।
- 12.9 कड़िका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अध्यक्षता रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक लक्ष्यपूर्ण (लो) 400/2012 नंशाल लीगल सायेसेस अर्थोरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में विरुद्ध नियम 14(1)(b) 15.04.2014 की कड़िका 129(3) में गह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments," का कड़ाई से पालन किया जाए।
- 13 अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम नियांरण के लिये ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका अप्याय नहीं किया जायेगा। जर्कारी परेक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समरत प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अधिभार पत्र जमी करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

### 13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / रकाउट्स

रकाउट्स शब्द को रकाउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

- (अ) एन.एस.एस. / एन.सी.सी. "ए" सार्टिफिकेट 02 प्रतिशत
- (ब) एन.एस.एस. / एन.सी.सी. "बी" सार्टिफिकेट 03 प्रतिशत  
या तृतीय रोपान उत्तीर्ण रकाउट्स
- (ग) "सी" सार्टिफिकेट या तृतीय रोपान उत्तीर्ण रकाउट्स 04 प्रतिशत
- (घ) राज्य सरकारी संवालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता 04 प्रतिशत  
में मुफ्त का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को
- (व) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ 05 प्रतिशत  
के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने  
वाले विद्यार्थी को
- (क) राज्याल रकाउट्स 05 प्रतिशत
- (ज) राष्ट्रप्राते रकाउट्स 10 प्रतिशत
- (झ) उत्तीर्णक का सर्वशेष एन.सी.सी. कोरेन 10 प्रतिशत

	(८) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेज प्रोग्राम में भाग लेने वाले केडेट, एन.री.सी. / एन.एस.एस. के लिए वयोनीज एवं प्रवास करने वाले केडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय	
13.2	भागीदार विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उत्तीर्ण विषय में प्रवेश लन पर	15 प्रतिशत
13.3	वैलकृष्ण / साहित्यिक / सांस्कृतिक / किंवज / रूपांकन प्रतियोगिताएँ :- (१) लोक शिक्षण संवालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ३ जिलों समाग्र स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अतर संभाग/ स्तर प्रतियोगिता में (२) प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत (३) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत (४) उपर्युक्त कडिका 13.3 (१) में उल्लेखित विभाग/संवालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर अथवा समाग्र स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में (५) प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत (६) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत (७) समाग्र द्वात्र का प्रतियोगिता में अर्जित करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत (८) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :- (९) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत (१०) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत (११) द्वात्र का प्रतियोगिता में अर्जित करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत 13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्वरल एक्सचेज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/ कला क्षेत्र में वयोनीज एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत	
13.5	उत्तीर्णसम्प्र संग्रहीत विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उत्तीर्ण विषय (क) उत्तीर्णसम्प्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को 10 प्रतिशत (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली उत्तीर्णसम्प्र की 10 प्रतिशत	

- 13.6 अमृत कर्मीर के विरथापेतो तथा उनके आश्रितों को  
 13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

01 प्रतिशत

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के साधीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कंडेटर तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स चाम जैन वाल विद्यार्थियों को वर्गेर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को रायालक खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिग्राहित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुन ग्राप्त करना आवश्यक होगा।

- 13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु रखूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रवेश या विद्यार्थी प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य जायेगा। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

सांति, सांति कालीन प्रथम वर्ष में अईकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश वाले वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्धारित किया जायेगा। अधिगार धर्ते हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्रावार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कठिका 22 में उल्लिखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुकम सत्री में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। प्रतिकालीन प्रायोगिक कार्ये अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशासा पर प्रावार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करें, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राव्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अन्वर्गत ही अपना शोध कार्ये दृष्टादन करें। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो राक्षम अधिकारी ताजा ऐम्ब्र जाकर

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,  
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

--00--

क्रमांक 572/149 आउशि / सम / 2020  
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07/8/20

1. कुलसचिव  
समस्त विश्वविद्यालय,  
छत्तीसगढ़
2. प्राचार्य,  
समस्त अग्रणी गहाविद्यालय,  
छत्तीसगढ़



विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों के लिये सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।  
सदम्भ :- अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2  
नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29.06.2020।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत सदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है, कि छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के सदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक रांगथाओं के लिये सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2020-21 की प्रति सलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनरथ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2020-21 में दिये गये प्रावधानों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करावें।

सलग्न उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ.एच.एस.कर)

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 07/8/20

पृ.क्रमांक 573/149 आउशि / सम / 2020

प्रतिलिपि -

1. अवर सचिव, छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को सदर्भित पत्र के परिपेक्ष में सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अविकापुर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

08/08/2020

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालयः

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

जिला-रायपुर

(M)

क्रमांक ४१५ (३६)

१२ मई २०२०

-----00-----

क्रमांक एफ १७-९५/२०१७/३८-२ नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक २५-०६-२०२०  
घण्टा:

आयुक्त,

उच्च शिक्षा सचालनालय,

इंद्रावती भवन,

नवा रायपुर अटल नगर,

रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

संदर्भ:- आपका ज्ञापन क्रमांक ४१६/१४९/आउशि/सम/२०२० दिनांक 26.05.2020

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

२/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

  
(रविन्द्र कुमार मेहता)  
अवर सचिव

छोगो शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ १७-९५/२०१७/३८-२ नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- गार्ड फाईल।

  
अवर सचिव  
छोगो शासन, उच्च शिक्षा विभाग

स.पु.(डी)



छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2020-21

1 प्रयुक्ति :-

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।  
1.2 प्रदेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। “प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

2 प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु “ऑनलाइन” फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाइन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि “ऑफलाइन” आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व सरथा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकते हैं।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कड़िका 5.1 (क)

*Nitin*

ने उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

### स्पष्टीकरण :-

आवेदक के ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी स्थान महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.2 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-  
विधि सकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि सकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

### प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (रीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य संख्या (रीट) में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा प्रस्ताव से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"
- 3.2 विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।
- विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.एल.एल.बी. की कक्षाओं में विधि स्नातक द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्षण द्वारा कौसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 4 सेक्षण) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।
- (अधिकतम 4 सेक्षण) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।
- 3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

*Shri Ram*

## प्रवेश सूची :-

प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु नयनित विद्यार्थियों की अहकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निररत की रील लगाकर अनिवार्य रूप से निररत कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमाक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होन की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 ग्राहकीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोडफोड आदि में गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोडफोड आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

## प्रवेश की पात्रता :-

### निवासी एवं अहकारी परीक्षा :-

5.1 (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदाकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर

विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। आरोग्यतानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी रथान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

#### 5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर दिखाय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

#### 5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.- प्रथम सेमेस्टर एवं अहंकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-

  1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
  2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

*अधिकारी*

### विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- विधि सकाय नियमत प्रवरा :-**

  - (I) रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को विधि रनातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
  - (ख) विधि रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
  - (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को कमशा एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-  
 (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्वि में 55% अंक (अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / ओ.बी.सी. हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

56 हेतु 50%) प्राप्त आवदका का नियनत प्रबला का विवर।  
AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित  
पाठ्यक्रमों में प्रवेश/सचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

## ६ समकक्ष परीक्षा :-

- 6 समकक्ष परीक्षा :-  
6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसे संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए नेशनल वोकेशनल इक्युएशन फ्रेमवर्क (National Vocational Educational Qualifications Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक

फे पाठ्यक्रमों में दाखिलो के लिए अन्न रागान्वि विधायों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

## विष्वविद्यालय अनुदान आयोग के अद्वेशासकीय पत्र क्रमांक

1-52 / 2013(सीसी / एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

“जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अहंता सरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अहंता सरचना (एनबीईक्यूएफ) में सूचबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनबीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्ड द्वारा छात्रों को नई पाठ्यक्रम प्रतावित किये गये और एनबीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी रिस्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षेत्रिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।”

## बाह्य आवेदको का प्रवेश :-

आवेदकों का प्रवेश :-  
स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जाये।

7.2 जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण—पत्र जरूरत पड़ता है। इत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की प्रथम/द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी  
नी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते  
हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य  
के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया  
जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा  
महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य  
करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
- 8 अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व  
अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-
- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित  
आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेरस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली  
कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्री�ेट 48  
प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की  
पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कड़िका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतं  
निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया  
जायेगा।
- 9 प्रवेश हेतु अहंताएँ :-
- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त  
छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षों में पुनः नियमित प्रवेश  
की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं  
लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनहै नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल  
स्थानातरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया  
है के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण  
बह रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्र/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ  
दुष्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ  
तो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में ताडफोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/ऐगिंग के  
आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।  
प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त

*(Signature)*

क्या जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

#### 9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

(ख) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम समर्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष मान्य की जाएगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित रास्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेंटरसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि सकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) समर्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम समर्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ /महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी/ आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में उपरात वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरात लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी सकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

#### 10 प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय हैं, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो उसस्तुविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

#### 11 प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

✓  
10/1/2021

स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अङ्गकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-  
12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत 50%  
सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बारह प्रतिशत 5C.  
सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बौद्ध प्रतिशत 0B/6  
सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (ख)  
(ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इस अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उद्धार (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं भूतपूर्व कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क 12.1 के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन यथारिति, उद्धार आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिए प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

सभी घरों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत रथान छात्राओं के लिये आरक्षित होगे। आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पसीटेशन में नियमानुसार मेरिट रूटी में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की गीट यथावत् अप्रभावित रहेगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किरी संवर्ग जैसे- खत्रत्रता सम्बन्ध सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की राख्या रख होगी।

12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यवित्तयों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अर्थॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कडाई से पालन किया जाए।

### 13 अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अहंकारी परीक्षा के प्राप्ताको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ सलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र रार्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

### 13.1 एन.सी.सी./एन.एस./स्काउट्स

रक्काउट्स शब्द को रक्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

(ग) या जटिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयों एन.सी.सी. प्रतियोगिता 04 प्रतिशत

में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को

*M. M. D.*

		05 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	10 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(य)	डियूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	15 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्मूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	10 प्रतिशत
13.2	आनंद विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	-
13.3	खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विजय / रूपांकन प्रतियोगिताएँ :-	-
(1)	लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, सभाग रत्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर सभाग / क्षेत्र रत्तर प्रतियोगिता में :-	-
(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख)	व्यवितरण प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत
(2)	उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, अन्तरसभाग राज्य रत्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय सघ एआई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-	-
(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख)	व्यवितरण प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग)	सभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत
(3)	भारतीय विश्वविद्यालय सघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-	-
(क)	व्यवितरण प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम	12 प्रतिशत
(ग)	के सदस्यों को	-
	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत

*HDFC*

	रित एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्याण	10 प्रतिशत
13.5	उच्चस्तरीय प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सारकृतिक/साहित्यिक/ कला क्षेत्र में चर्चानित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को	
	छत्तीसगढ़ शासन/मप्र से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -	
13.5	(क) छत्तीसगढ़ मप्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को	10 प्रतिशत
	(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
13.6	जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को	01 प्रतिशत
13.7	<b>विशेष प्रोत्साहन :-</b> छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पार्टेस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-	
	(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को सचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनियामित किया गया हो, एवं	
	(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।	
13.8	प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।	
14	<b>संकाय/विषय/गुप्त परिवर्तन :-</b> स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अहंकारी परीक्षा के संकाय/विषय/गुप्त परिवर्तन कर प्रदंग चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/गुप्त परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कठिका 22 में उल्लंघित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।	

*Mr. Jam*

आहरित किया जावेगा।  
विश्वविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की विधि  
में शोध छात्र ऐसी स्थान में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहाँ से उनका शोध  
आवेदन पत्र अंग्रेजित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी  
महाविद्यालयों के प्राचार्य अंग्रेजित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ  
सहपठित करते हुए लागू होगा।

16 विशेष :-

16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन अस्तवद्यानीयशः यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवंश का निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपरिधित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कडिका 9.2 एवं 9.3 मे वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शत्लक वापिस नहीं किया जायेगा।

अन्य काइ रुल्फ वापस नहा किया जायगा।  
 165 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धातों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन के आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए रपष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 किसी भी प्रकरण का कबल अग्राष्ठत लिखकर प्राप्ति न किया जाए।  
इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरन्/सलग्न का सपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

*Reftam*



# हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.) 491001

ईमेल : [registrars@durguniversity.uc.in](mailto:registrars@durguniversity.uc.in)

वेब साइट : [www.durguniversity.ac.in](http://www.durguniversity.ac.in)

क्र. Q / प्रवेश / 2020



## // अधिसूचना //

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में छात्र-छात्राओं के ऑनलाइन पद्धति से प्रवेश फार्म भरने की तिथियां निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

क्र.	विवरण	निर्धारित तिथियां
01	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु पंजीयन की तिथि	01.08.2020 से 15.08.2020

### छात्र/छात्राओं हेतु निर्देशः-

- छात्र/छात्राएं विश्वविद्यालय की वेबसाईट [www.durguniversity.ac.in](http://www.durguniversity.ac.in) के Quick Links पर जाकर Online Admission 2020-21 पर Click कर अथवा <http://durg1.ucanapply.com> के माध्यम से स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे।
- छात्र/छात्राएं उपरोक्त लिंक के माध्यम से सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे तत्पश्चात यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त कर लेंगे जिसका उपयोग प्रवेश आवेदन फार्म, नामांकन फॉर्म, परीक्षा फार्म आदि भरने हेतु किया जा सकेगा।
- प्रवेश फार्म केवल ऑनलाइन पद्धति से भरे जायेंगे। किसी भी छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।
- छात्र/छात्राएं कोविड-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुए ऑनलाइन पद्धति से प्रवेश हेतु आवेदन फार्म भरेंगे।
- प्रवेश फार्म ऑनलाइन पद्धति से भरने हेतु समस्त निर्देश संलग्न है, छात्र/छात्राएं इस निर्देश का भलिभांति अवलोकन करने के पश्चात ही प्रवेश फार्म भरें, जिससे उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।
- छात्र/छात्राएं अब मोबाइल के माध्यम से भी प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे, इसके लिए उन्हें अपने अंतिम पहले से ही स्कैन करके रखना होगा जिससे अपलोड करते समय परेशानी न हो।
- प्रवेश आवेदन फार्म पूर्णतः निःशुल्क है। परन्तु यदि छात्र/छात्राएं इंटरनेट कैफे या सी.एस.सी. सेंटर जाकर प्रवेश फार्म भरते हैं तो उन्हें उनकी फीस का भुगतान स्वयं करना होगा।
- ऑनलाइन प्रवेश आवेदन करने के पश्चात आवेदन की एक प्रति संबंधित महाविद्यालय एवं एक प्रति संबंधित छात्र/छात्रा के आई.डी. पर अपलोड हो जाएगी जिसे छात्र कभी भी डाउनलोड अथवा प्रिंट कर सकते हैं।
- प्रवेश आवेदन फार्म जमा करने के लिए किसी भी छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय नहीं जाना होगा। महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित सीट संख्या के आधार पर आवेदनों की मेरिट सूची तैयार कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सीट रिक्त होने पर पुनः प्रवेश हेतु आवेदन मंगाये जायेंगे।

- उक्त प्रवेश प्रक्रिया केवल स्नातक प्रथम वर्ष के लिए लागू है, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम जारी होने के पश्चात प्रारंभ किए जायेंगे।
- यदि ऑनलाईन प्रवेश आवेदन फार्म भरते समय किसी प्रकार की समस्या आती है तो छात्र/छात्राएं विश्वविद्यालय के हेल्पलाईन नं. 9713387094 / 7225940167 पर फोन के माध्यम से अथवा [onlinehelp@durguniversity.in](mailto:onlinehelp@durguniversity.in) पर ई-मेल कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

#### महाविद्यालयों हेतु निर्देशः—

- सत्र 2020–21 में आपके महाविद्यालय हेतु विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पद्धति से आवेदन लिए जा सकेंगे।
- पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र की उपलब्धता पर महाविद्यालय अपने सूचना पटल एवं वेबसाईट दोनों पर मेरिट सूची जारी करें। मेरिट सूची जारी करने के 05 दिवस के भीतर प्रवेश देकर प्रवेशित सूची की जानकारी विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय के पोर्टल पर प्रवेशित सूची अपलोड करने के संबंध में विस्तृत निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है, जिसके अनुसार ही प्रवेश की प्रक्रिया संपन्न करना सुनिश्चित करेंगे।
- छात्र/छात्राओं द्वारा विषय समूह/नाम/पिता/माता का नाम/जन्म तिथि आदि के चयन में हुई त्रुटियों का सुधार महाविद्यालय अपने लागइन पैनल के माध्यम से कर सकेगा। किसी भी छात्र/छात्रा को अनावश्यक विश्वविद्यालय न भेजा जाए। महाविद्यालय अपने स्तर पर विश्वविद्यालय से छात्रों को होने वाली समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर छात्रों को उनके समाधान के संबंध में जानकारी दे सकता है।
- महाविद्यालयों को यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड पूर्व में प्रदान किया गया है, फिर भी यदि किसी महाविद्यालय के पास यह नहीं है तो वह विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से संपर्क कर इसे प्राप्त कर सकता है।
- किसी भी स्थिति में ऑफलाईन प्रवेश आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

संलग्नः— निर्देशिका

आदेशानुसार

पृ.क. Q-1 / प्रवेश / 2020

दुर्ग, दिनांक 31.07.2020

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़।
- सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
- अधिष्ठाता छात्र कल्याण/वित्त अधिकारी/उ.कु.स. परीक्षा/अकादमिक/गोपनीय एवं संबंधित प्रवेश कार्य सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
- प्राचार्य, संबंधित समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग।
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग।
- संपादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र/पत्रिकाएं दुर्ग/बेमेतरा/राजनांदगांव/कबीरधाम/बालोद को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्रों के आगामी अंक में छात्रहित को ध्यान में रखते हुए समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग १५ मी  
 छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क १६/२०१५ द्वारा स्थापित  
 शासकीय वाचि पाटांगकर, कन्या महाविद्यालय पारिसर रामपुर नाको दुर्ग( छ.ग.) - 491001  
 Email:durguniversity@gmail.com Website:www.durguniversity.ac.in. Phone&Fax0788-2213300  
 पुष्पत्र क्रमांक - ०१

COLLEGE NAME - GOVT. RANI SURYAMUKHI DEVI COLLEGE CHHURIA  
 PRINCIPAL NAME - Dr. RAJENDRA SHARMA  
 E-MAIL ID - chhuriacollege@gmail.com

MOBILE NO 9425560500

PHONE NO - 07745-264273

Class Name	GEN				SC				ST				OBC				MINORITY				TOTAL			
	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total
B.A. I	0	04	0	04	08	09	0	17	58	25	0	83	40	21	0	61	0	0	0	0	106	59	0	165
B.A. II	03	02	0	05	06	13	0	19	30	37	0	67	34	32	0	66	0	0	0	0	73	84	0	157
B.A. III	01	03	0	04	02	03	0	05	08	11	0	19	11	16	0	27	0	0	0	0	22	33	0	55
B.Sc. I (Bio)	0	0	0	0	07	05	0	12	13	12	0	25	29	14	0	43	0	0	0	0	49	31	0	80
B.Sc. II (Bio)	02	02	0	04	12	10	0	22	06	03	0	09	23	15	0	38	0	0	0	0	43	30	0	73
B.Sc. I (Maths)	02	0	0	02	0	0	0	0	03	0	0	03	05	0	0	05	0	0	0	0	10	0	0	10
B.Sc. II (Maths)	01	0	0	0	01	0	0	01	01	0	0	01	07	01	0	08	0	0	0	0	09	01	0	10
B.Com. I	0	02	0	02	02	02	0	04	16	01	0	17	08	08	0	16	0	0	0	0	26	13	0	39
B.Com. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	01	02	01	0	03	0	0	0	0	02	02	0	04
	09	13	0	21	38	42	0	80	135	90	0	223	158	108	0	267	0	0	0	0	340	253	0	593

2017-18

2017-18

दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग)

छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम का 16/2015 द्वारा स्थापित

शामकोव बाजार पाटणकर, कन्या मुलाइचालय परिसर रायपुर नामा दुर्ग (छ.ग) -491001

Email:durguniversity@gmail.com Website:www.durguniversity.ac.in Phone&Fax 0788-2213300  
प्रधान कामका -01

NAME: GOVT. RANI SURYAMUKHI DEVI COLLEGE CHHURIA

NAME: DR. RAJENDRA SHARMA

PHONE NO.: 07745-264273

MOBILE NO.: 9425560500

Category	GEN				SC				ST				OBC				MINORITY				TOTAL			
	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total
B.A.I	3	0	4	5	10	0	15	20	43	0	63	40	43	0	83	0	0	0	0	66	99	0	165	
B.II	3	0	3	2	8	0	10	23	24	0	47	26	18	0	44	0	0	0	0	51	53	0	104	
B.III	2	0	3	7	13	0	20	31	54	0	85	39	37	0	76	0	0	0	0	78	106	0	184	
B.IV	1	0	1	1	6	0	7	11	17	0	29	19	25	0	44	0	0	0	0	31	49	0	80	
B.V	0	0	0	4	5	0	9	5	6	0	11	16	16	0	32	0	0	0	0	25	27	0	52	
B.VI	1	0	1	3	2	0	5	3	2	0	5	4	5	0	14	0	0	0	0	15	10	0	25	
M.B.B.S	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0	4	14	1	0	15	0	0	0	0	17	3	0	20	
M.B.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
M.T.C.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	6	0	0	0	0	7	0	0	0	7	
M.T.C.T	0	2	0	2	3	6	0	9	7	9	0	16	14	11	0	25	0	0	0	0	24	28	0	52
M.T.C.T	0	1	0	1	0	0	0	0	4	2	3	6	4	4	0	8	0	0	0	0	8	7	0	15
M.T.C.T	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	4	0	0	0	0	1	4	0	5	
M.T.C.T	0	1	0	1	0	2	0	2	1	1	0	2	4	2	0	6	0	0	0	0	5	6	0	11
M.T.C.T	2	14	0	15	26	52	0	73	103	161	0	268	192	165	0	358	0	0	0	0	322	393	0	722

HEMCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA, DURG (C.G.)

COLLEGE NAME - GOVT. RANI SURYAMUKHI DEVI COLLEGE CHHURIA

FULL ADDRESS - MAIN ROAD CHHURIA

PRINCIPAL NAME - DR. RAJENDRA SHARMA

PRINCIPAL OFFICE NO. - 07745-264273

OTHER OFFICE NO. - 07745-264273

MOBILE NO. - 9425560500

CLASS	TOTAL SEAT	DETAILS OF TOTAL ADMISSION												GRAND TOTAL	
		MALE						FEMALE							
		ST	SC	OBC	GEN	MINORITY	TOTAL	ST	SC	OBC	GEN	MINORITY	TOTAL		
B.A. I	165	29	3	20	1	0	53	47	15	49	1	0	112	165	
B.A. II	165	14	6	28	0	0	48	35	7	41	3	0	86	134	
B.A. III	165	17	2	22	0	0	41	21	7	15	2	0	45	86	
B.SC I BIO	80	9	3	20	0	0	32	17	7	23	1	0	48	80	
B.SC I MATHS	80	6	0	9	1	0	16	1	1	1	0	0	3	19	
B.SC II BIO	80	4	0	15	0	0	19	9	6	22	0	0	37	56	
B.SC II MATHS	80	2	1	6	1	0	10	1	0	1	0	0	2	12	
B.SC III BIO	80	4	3	18	1	0	26	9	5	15	1	0	30	56	
B.SC III MATHS	80	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	1	3	
B.COM I	60	6	3	14	2	0	25	6	0	6	0	0	12	37	
B.COM II	60	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	1	3	
B.COM III	60	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	
M.A. HINDI I st SEM.	30	2	2	4	0	0	8	10	1	5	1	0	17	25	
M.A. HINDI II st SEM.	30	1	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	3	
<b>TOTAL</b>	<b>94</b>	<b>23</b>	<b>162</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>156</b>	<b>49</b>	<b>182</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>681</b>		

**HEMCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA, DURG (C.G.) - 2019 - 20**

COLLEGE NAME - GOVT. RANI SURYAMUKHI DEVI COLLEGE CHHURIA  
 PRINCIPAL NAME - DR. RAJENDRA SHARMA  
 EMAIL ID - chhuriacollege@gmail.com

PHONE NO. 07745 294273

MOBILE NO. - 94255-60506

CLASS NAME	GEN			SC			ST			OBC			MINORITY			TOTAL				
	MALE	FEMALE	THIRD GENDER	TOTAL	MALE	FEMALE	THIRD GENDER	TOTAL	MALE	FEMALE	THIRD GENDER	TOTAL	MALE	FEMALE	THIRD GENDER	TOTAL	MALE	FEMALE	THIRD GENDER	TOTAL
B.A. I	0	1	0	1	0	16	0	20	2	17	0	19	0	18	0	35	0	0	0	35
B.A. II	1	2	0	3	5	12	0	17	2	15	4	21	1	11	2	33	2	3	0	36
B.A. III	1	5	0	6	4	0	11	0	17	28	10	0	41	2	21	0	3	0	3	35
B.Sc. I BIO	0	2	0	2	1	1	0	2	11	12	1	0	12	0	19	2	13	0	13	35
B.Sc. I MATHS	2	1	0	3	1	0	1	2	1	0	1	2	0	10	1	9	0	0	14	35
B.Sc. II BIO	0	1	0	1	2	3	0	6	8	3	2	0	1	0	17	0	0	0	18	35
B.Sc. II MATHS	1	0	0	1	3	1	0	2	1	0	1	2	0	1	0	4	0	0	0	4
B.Sc. III BIO	0	0	0	0	4	1	3	0	6	4	5	0	7	0	12	0	0	0	12	35
B.Sc. III MATHS	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.COM-I	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2
B.COM-II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.COM-III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M.A. I HINDI 1st SEM.	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
M.A. II HINDI 1st SEM	0	1	0	1	2	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
M.A. III HINDI 1st SEM	0	1	0	1	2	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	5	15	0	20	35	56	0	93	110	169	0	238	143	218	0	559	0	0	0	560
																361				362

PRINCIPAL

72

HENCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA, DURG (C.G.)

2020-21

COLLEGE NAME - GOVT. RANI SURYAMUKHI DEVI COLLEGE, CHHURIA  
 PRINCIPAL NAME - DR. RAJENDRA SHARMA  
 EMAIL ID - chhuriacollege@gmail.com

PHONE NO - 97724251277

MOBILE NO - 94255-00500

CLASS NAME	GEN			SC			ST			OBC			MUSLIM			TOTAL					
	MALE	FEMALE	THIRD GENDER	MALE	FEMALE	THIRD GENDER	MALE	FEMALE	THIRD GENDER	MALE	FEMALE	THIRD GENDER	MALE	FEMALE	THIRD GENDER	MALE	FEMALE	THIRD GENDER	TOTAL	TOTAL	
B.A. I	0	9	2	3	1	0	11	75	0	78	0	0	0	60	105	0	165	0	165		
B.A. II	0	1	0	2	5	0	20	73	0	68	0	1	1	57	108	0	165	0	165		
B.A. III	1	0	0	3	0	0	19	68	0	75	0	1	1	57	108	0	165	0	165		
B.Sc. I H.D.O.	0	1	0	4	0	0	1	17	0	43	0	0	0	25	53	0	78	0	78		
B.Sc. I MATHS	1	0	0	1	0	0	2	9	0	47	0	0	0	11	59	0	16	0	16		
B.Sc. I P.G.D.	0	1	0	1	0	0	11	6	0	10	0	1	1	23	98	0	80	0	80		
B.Sc. II H.D.O.	0	0	0	2	0	0	6	10	0	23	0	0	0	18	5	0	23	0	23		
B.Sc. II MATHS	0	0	0	3	0	0	10	1	0	23	0	0	0	16	45	0	45	0	45		
B.Sc. II P.G.D.	0	0	0	3	0	0	10	5	0	23	0	0	0	12	2	0	14	0	14		
B.T.C. I MATHS	0	0	0	2	0	0	2	5	0	13	0	0	0	15	15	0	30	0	30		
B.T.C. I P.G.D.	0	0	0	1	0	0	3	12	0	16	0	0	0	14	12	0	26	0	26		
B.T.C. II	0	1	0	1	0	0	2	0	0	16	0	0	0	9	2	0	11	0	11		
B.T.C. III	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	0	0	0	11	11	0	22	0	22		
M.B.A. I MATHS	0	0	0	0	0	0	0	2	0	16	0	0	0	8	8	0	16	0	16		
M.B.A. I STATISTICS	0	0	0	0	0	0	0	2	0	16	0	0	0	11	11	0	22	0	22		
M.B.A. II MATHS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	0	0	0	8	8	0	16	0	16		
M.B.A. II STATISTICS	0	0	0	0	0	0	0	2	0	16	0	0	0	11	11	0	22	0	22		
M.A. I MATHS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	0	0	0	8	8	0	16	0	16		
M.A. II MATHS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	0	0	0	8	8	0	16	0	16		
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>119</b>	<b>218</b>	<b>111</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>324</b>	<b>532</b>	<b>0</b>	<b>856</b>